VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 26 AUG 2024 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2368)

Name of Candidate	AJAY KUMAR		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	45939667
Center	M.N.	Date	26/08/2024

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

2368

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. न्यायालयों द्वारा की जा रही व्याख्या के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का विस्तार हुआ है। न्यायालय के प्रासंगिक पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The evolving interpretation by the courts have led to the expansion of the scope of the Right to Life and Personal Liberty under Article 21 of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है। निरंतर इसके विस्तार ने मानव जीवन की गरिमा को बढ़ाया है।

अनुच्छेद 21 के विस्तार के केस

i) गोलकनाथ केस, 1967 :- इस केस में जीवन के अधिकार को सामान्य जीवन के रूप में परिभाषा दी गई।

ii) मेनका गांधी केस, 1978 :- इस केस में पहली बार विस्तार दिया गया व गरिमा पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया।

iii) MC मेहता केस :- स्वच्छ पर्यावरण में जीने के अधिकार को स्वीकार किया। इस केस के बाद प्रदूषण व

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

असित्यक कार्य प्रणालियों के खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी।

iv) K.S पुट्टास्वामी केस 2017 :- इस केस में अनुच्छेद 21 (जीवन निजता का अधिकार) शामिल किया गया।
→ निजता के अधिकार में मानव जीवन की दैनिक कार्यवाही किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की मनाही।

v) MK. रणजीत सिंह वाद, 2023 इस केस में भी जलविरुद्ध मामलों, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वीकार किया गया।

जीवन के अधिकार में उन सभी मत्वों का समायोजन है जो मानवाधिकारों की श्रेणी में आता है।

अतः जीवन के अधिकार का विकास भारत में जीवंत लोकतंत्र व कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8A भारत में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को किस प्रकार सुरक्षित रखती है। विश्लेषण कीजिए (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Analyse how Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 preserves the integrity of the electoral process in India. (Answer in 150 words) 10

भारतीय चुनाव प्रणाली व सदस्यों की योग्यता, निलंबन आदि निर्धारण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 A अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

धारा 8 A-1

→ इसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार दहेज निषेध कानून, 1961, भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 के तहत किसी भी प्रकार का दोषी पाया तो निलंबन होगा।

धारा 8A-2

→ इसके अनुसार किसी भी तरह की बाजार में कालाबाजारी, व्याभिचार जैसे अपराध में शामिल तो सजा का प्रावधान

धारा 8A-3

→ इसमें पहले 8A-1, 8A-2 के अलावा

वाले अपराधों की शामिल किया है,

[आखंडता सुनिश्चित]

└ राजनीति का अपराधीकरण रोकना

→ ADR रिपोर्ट 43% जनप्रतिनिधियों पर केस

ii) चुनाव में बाहुबल को रोकना :- बाहुबल व धन बल के प्रयोग को समाप्त कर स्वच्छ चुनाव क्रियान्वयन

iii) सामाजिक अपराधों पर रोक :- महिला, जाति। धर्म किसी के भी आधार पर या खिलाफ राजनीति दुर्प्रयोग पर रोक।

iv) केस, संपत्ति की जानकारी :- उम्मीदवार द्वारा सभी तरह की निर्वाचन पूर्व जानकारी जनता के अंदर चेतना लाती है।

लिलि थॉमस केस के फैसले के बाद अब किसी भी तरह की दोष सिद्धी में 3 माह के तक अपील की समय खत्म कर के निर्वाचन प्रणाली की ओर भी सुदृढ़ करने का काम किया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची को प्रारंभ में किन उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था? क्या उच्चतम न्यायालय नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी कानून की समीक्षा कर सकता है? न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

With what objectives was the Ninth Schedule of the Indian Constitution initially introduced? Can the Supreme Court review a legislation that has been placed in the Ninth Schedule? Discuss with the help of case laws. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान में 1951 के संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ये कानून की न्यायालय के समक्ष जाँच रखा का प्रकरण है।

उद्देश्य

i) संपत्ति, भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों के निपटारे के लिए शामिल।

ii) न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बचाव के लिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा

i) 1973 तक व्यवस्था नहीं थी कि 9th अनुसूची के किसी भी कानून की समीक्षा की नहीं की जा सकती।

→ 1973 के केशवानंद भारती केस, में मूल संरचना के सिद्धांत के आगमन के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया।

SR बोम्मई वाद, 1994 :- इस वाद में 1973 के बाद जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना के आधार पर कोर्ट द्वारा की जा सकती है।

→ 1973 के पूर्व के शामिल मामलों को इसमें शामिल से छूट दी गई।

प्रभाव

1. इसके द्वारा अधिनियमों की सुरक्षा सुनिश्चित उदाः तमिलनाडु द्वारा आरक्षण नियम 9th सूची में डालना

2. केशवानंद केस के बाद 9th अनुसूची का महत्व और परिष्कृत रूप में सामने आया।

अतः 9th अनुसूची नियमों के प्रभावी लागू करने व विलंबों को हटाने के लिए लाई गई, आगे सुप्रीम कोर्ट ने इसे और पुख्ता रूप में तैयार किया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) द्वारा प्रदान की जाने वाली विवादों के उचित, त्वरित और प्रभावी समाधान तक पहुंच कई चुनौतियों से घिरी हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Online Dispute Resolution's (ODR) promise of access to just, speedy and effective resolution of disputes is beset with several challenges. Discuss. (Answer in 150 words) 10

आनलाईन विवाद समाधान (ODR)

पद्धति पूर्व चीफ जस्टिस N.V. रमन्ना के न्यायिक सुधारों (लंबित मामलों में कमी के लिए) का एक हिस्सा है।

ODR की चुनौतियाँ

i) तकनीकी → ODR के लिए अवसंरचना → उच्च गति का इंटरनेट, स्क्रीन, कनेक्टीविटी की जरूरत परन्तु कमी।

ii) वित्तीय → भारतीय GDP का मात्र 0.09% न्यायपालिका पर खर्च, अतः परिणामतः लंबित प्रोजेक्ट

iii) मानव संसाधन
→ जजों के पद खाली
→ कुशल स्टाफ की पूर्ति न होने से भी ODR क्रियान्वयन मुश्किल।

iv) जनजागरूकता → लोगों के अंदर अभी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पूर्ण चेतना जागृति नहीं, डिलीटल डिवाइड जैसी समस्या।

v) फैसले थोपना : महिला व कमजोर वर्गों पर बाहरी दबाव से फैसले थोपे जाने की घटनाएं देखी जाती हैं।

समाधान
- न्यायपालिका के बजट में बढ़ोतरी हो।
- ODR प्रणाली की व्यवसायीकरणात्मक कमियों को दूर करके स्वच्छ को पूरा किया
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की अनुशंसाओं द्वारा ODR का पालन।
- नेशनल ज्यूडिशियल डेटाग्रिड, LIMBS, e-कोर्ट जैसी प्रणालियों को गति देना।

फिलहाल न्यायपालिका में 4.5 करोड़ मामले लंबित अतः न्याय सिर्फ करना ही नहीं बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, की अवधारणा पर ODR का विकास करना जरूरी है।

2368
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q5. केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के कारण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम निरर्थक हो गया है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Right to Information (RTI) Act has fallen into redundancy owing to the issues faced by the Office of the Central Information Commission. Analyse. (Answer in 150 words) 10

RTI अधिनियम को 2005 में अनुच्छेद 19 के तहत सूचना के अधिकार के स्वरूप में शामिल किया गया था।

RTI की समस्याएँ

i) मेहतपामं :- अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था का जड़ होना।
उदा० लंबे समय तक CIC की नियुक्ति न होना व राज्यों में खाली पड़े पद।

ii) सूचना की खराब गुणवत्ता :- सूचना की ऐसी गुणवत्ता की निरंतर हतोत्साहन की प्रोत्साहन मिले।

iii) लंबित RTI :- लगभग 2.15 लाख लंबित मामलों का रिकॉर्ड।

iv) RTI कार्यकर्ताओं पर हमले :- सुरक्षा न दिए जाने से लगातार हमले की घटनाएं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

v.) दोषसिद्धी पर कारवाई न होना :- RTI द्वारा दोषी बनाए जाए जाने पर कारवाई न करना की हानिकारक प्रथा।

परंतु ऐसा भी नहीं है कि RTI ने कुछ सफलता हासिल नहीं की।

सफलता

↳ लगभग सभी राज्यों में सूचना आयोग का गठन → किसी भी तरह की समस्या पर कारवाई के लिए सूचना मिला।

↳ मनरेगा फंड पर आवाज :- गांवों में सरपंचों के स्तर में धांधली व मनरेगा में गलत प्रथा आदि के खिलाफ कारवाई।

→ जागरूकता का विस्तार :- NGO व नागरिक समाज द्वारा धांधली पकड़ना।

उपरोक्त मुद्दा छेड़कर विवाद RTI में उजागर होते हैं। RTI में संशोधनों की वृद्धि व धारा 8-1 के तहत सूचना गोपनीयता को सरल बनाकर और भी लाभ लिए जा सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने भारत में जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है? इसकी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How has Information and Communication Technology (ICT) transformed the governance landscape at the grassroots level in India? What are the key obstacles in leveraging its full potential? (Answer in 150 words) 10

सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्रामीण शासन में गतिशीलता देखी गयी है। e ग्रामपंचायत जैसे मॉडल ने दक्ष संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित किया है।

जमीनी स्तर पर प्रभाव

i) पोर्टलों द्वारा शासन :- सरकारी दफ्तरों के चक्कर खाने पर मजबूरी खत्म हुई। उदा- e ग्रामस्वराज पोर्टल।

ii) शिकायत निवारण :- cm विंडो जैसे प्रयासों से शिकायतों पर तीव्र कारवाई की जाती है।

iii) पारदर्शिता :- प्रवक्तापारा व जिलों मनरेगा पोर्टल आदि से संसाधनों का समावेशी वितरण सुनिश्चित।

iv) e गवर्नेंस :- e-पंचायत, e संपत्ति,

e-नाम जैसी व्यवस्थाओं के कारण सेवा प्रदान आसान हुआ।
→ e-ट्रेडिंग को प्रभावकारी बनाना।

सूचना प्रौद्योगिकी समक्ष उपयोग में बाधाएं

i) डिजिटल विभाजित :- ग्रामीण भारत में इंटरनेट व स्मार्ट फोन विस्तार कमजोर
ii) साइबर ठगी :- ऐसी माध्यमों के कारण भोले भाले लोगों से अनुचित लाभ उठाना।
iii) शिकायत निवारण तंत्र कमजोर :- cm विंडो जैसे माध्यमों पर महीनों तक अर्जी लंबित पड़ी रहती है।
iv) अवसंरचनात्मक समस्याएं :- e-शासन के लिए USOF के तहत ब्राडबैंड वितरण, दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच कम।

सुधार - PM MS पोर्टल - शिकायत निवारण
↳ धन आवंटन को बढ़ावा देना।
↳ जागरूकता विस्तार

अतः सूचना प्रौद्योगिकी के निचले शासन में प्रयोग करके हम अंतिम स्तर के साथ कनेक्टिविटी व विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण भारत में शासन के 'स्टील फ्रेम' को किस प्रकार नष्ट कर देता है? इस प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How does the politicization of the civil services corrode the 'steel frame' of governance in India? What measures can be implemented to counteract this effect? (Answer in 150 words) 10

सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतंत्र में नीति क्रियान्वयन, सामाजिक सुधारक रहने होने के कारण स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है।

सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण दुष्प्रभाव

i) बाहरी दबाव :- ज्यादा दबाव होने के कारण सेवक का मोटीवेशन खत्म होता है।

ii) नीति क्रियान्वयन नहीं :- हर मामलों में हस्तक्षेप से नीति को ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा जाए।

iii) ट्रांसफर :- बार-बार ट्रांसफर के कारण भी संसाधनों की हानि होती है।
उदा- प्रदीप कासनी, ऋकासन खेमका आदि के ट्रांसफर

iv) भ्रष्टाचार को बढ़ावा :- व्यवस्था से थक कर सेवक द्वारा राजनीति के अनुचित लाभ जैसे गतिविधियों की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बढ़ावा मिलता है।

v) वुडेरियन मॉडल जारी रहना :- इस प्रकार के दबाव से सेवाओं का प्रशासन निरंकुश नौकरशाही को बढ़ावा जो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर आधारित।

राजनीतिकरण रोकने के उपाय

i) न्यायिक कदम :- TSR सुब्रमण्यम केस, 2013 ने कहा कि लोक सेवक किसी भी तरह के मौखिक आदेश पर कार्रवाई करने को बाध्य नहीं - लिखित आदेश हो।

ii) सिविल सेवा नियम :- 1964 के सिविल सेवा नियम भी सेवक के राजनीति से दूर रहने की वकालत करता है।

iii) संवैधानिक संरक्षण :- अनुच्छेद 312 के द्वारा प्रदान संरक्षण का लाभ ले स्वतंत्र कार्य करना चाहिए।

कमेटी अनुशंसा : इंदिरेश नाथ → मूल्यांकन आधारित ड्यूटी निर्धारण

↳ होटा कमेटी :- नागरिक केंद्रित प्रशासन पर जोर है।

अतः एक सिविल सेवक आचरण संहिता के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

Q8. लैंगिकता वृद्धावस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत में सामाजिक अलगाव और वंचना का सामना करने वाली बुजुर्ग महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Gender is an important dimension of ageing. What measures can be taken to solve the problems of elderly women facing social alienation and deprivation in India? (Answer in 150 words) 10

भारत में बुजुर्ग महिलाओं का लिंगानुपात 1100 के करीब है जो उनके समाज में महत्त्व को दर्शाती है।

सामाजिक अलगाव व वंचना

i) परिवार से दूरी → एकल परिवार का केन्द्रीकरण प्रभाव

ii) देखभाल न होना :- अक्सर देखभाल न होने के कारण दुर्दशा की खबरें - घर से निकालना आदि।

iii) भावनात्मक कटाव :- भावनात्मक रूप से परिवार की दूरी समस्या

iv) बढ़ते वृद्धाश्रम :- इन आश्रमों का बढ़ना जिससे सामाजिक रिश्तों को दर्शाता है।

समस्याओं का समाधान

i) कानूनी → माता पिता भरण पोषण कानून के द्वारा लाभ सुनिश्चित करना।

योजना क्रियान्वयन
→ पेंशन → PM वय वंदना योजना
→ स्वास्थ्य बीमा योजना
→ स्वास्थ्य → आयुष्मान कार्ड व फ्री इलाज

राज्य विशेष — हरियाणा में 3000 रु/महीना पेंशन व आधे किराये में यात्रा

सामाजिक कार्य → सामाजिक मूल्यों का पुनर्जीवन
→ वृद्धावस्था में आश्रमों में रहने पर्याप्त व अच्छा जीवन देना सुनिश्चित करना।

कौशल विकास
→ सिल्वर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाना
→ डिजीटल ज्ञान से जोड़ना
→ पुराने अनुभवों का लाभ → यूट्यूब द्वारा व्यंजन निर्माण, वस्त्र निर्माण कला का प्रसार व नैतिक कहानियों के पाठ का विस्तार।

अतः इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार 192 मि. वृद्ध लोग हैं, इनकी संख्या में आगे बढ़ोतरी देखते हुए सरकार को पुनर्वास व सम्मान उत्थान के कदम उठाने चाहिए।

Q9. भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में भारतीय प्रवासी क्या भूमिका निभा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What role can the Indian diaspora play in fostering political and economic engagement between India and African countries? (Answer in 150 words) 10

भारत व अफ्रीका दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अग्रणी भागीदार हैं। हाल ही में दोनों के रिश्तों में नवाचार देखे गए हैं।

राजनीतिक व आर्थिक जुड़ाव में भारतीय प्रवासी

भारत के 31 मिलियन प्रवासियों में से गिरमिटिया, NRI, PIO आदि के रूप में अफ्रीका में।

i) शिक्षा क्षेत्र :- भारतीय लोग इथियोपिया जैसे देशों की पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़।

ii) राजनीति :- राजनीति में भी प्रवासी भूमिका मॉरीशस देश में भारतीय प्रवासी ही अग्रणी नेता।

iii) पीपल टू पीपल जुड़ाव :- सौहार्द व सद्भाव विकास में प्रवासी भूमिका।

iv) शांति मिशन :- UN की ब्लू हेल्मेट में भारतीय सैना के धरातल पर प्रवासियों के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ कार्य शांति व प्रेम का संचार करते है।

आर्थिक →. युगांडा जैसे देश में भारतीयों द्वारा डेयरी। कृषि उद्योग में अग्रणी भूमिका।
→ 78% का भारतीय निवेश भी संबंधों की मजबूती का प्रमाण।

अवसरसंभावनात्मक → भारतीयों द्वारा भारत व जापान के एशिया - अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC), भारत-अफ्रीका फोरम आदि में अग्रणी भूमिका निभाई जा सकती है।

चुनौतियां → व्यापक गरीबी → सॉफ्ट पावर अपनाने में अड़चन।
└. चीन व USA की कंपनियों का विस्तार। 60%. अफ्रीकी कंटेनर पर चीनी कंपनी का कब्जा।
→ निरंतर आंतरिक संघर्ष व तख्तापलट।

संघर्ष के बीच भारत व अफ्रीका के बीच कंपाला घोषणा के 10 सूत्र दोनों के संबंध मजबूती व प्रवासियों के जीवन उत्थान में अहम भूमिका निभा सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. अपने प्रारंभ के एक दशक से भी अधिक समय बाद, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लाभ, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, भ्रामक साबित हुए हैं। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

More than a decade after its inception, the benefits of the Belt and Road Initiative have proven to be illusory, especially for developing countries. Comment. (Answer in 150 words) 10

2013 में चीन द्वारा महत्वाकांक्षी बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव (BRI) प्रारंभ की गई। यह कनेक्टीविटी, व विश्व ग्लोबल वैल्यू चैन के जुड़ाव मॉडल पर आधारित है।

विकासशील देशों के लिए भ्रामक

i) कर्जजाल :- चीन द्वारा कर्ज जाल की नीति का पालन परिणामस्वरूप जिबूती जैसे देशों की GDP से 50% से भी ज्यादा कर्ज।

ii) शोषण :- अवसंरचना निर्माण में चीनी कर्मचारी व सैनिकों द्वारा शोषण → स्थानीय लोगों पर प्रभाव।

iii) रोजगार न देना :- चीनी कंपनी अपने देश के लोगों की ही नियुक्ति से स्थानीय देश को कोई लाभ नहीं।

iv) आंतरिक संघर्ष :- लोगों की प्रताड़ना से CPEC जैसे प्रोजेक्ट को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

तुर्किस्तान में विरोध।

v) देशों का कंगाल होना :- श्रीलंका का आर्थिक संकट व मालदीव की खस्ताहाल उदाहरण।

vi) भारत का घेराव :- पर्ल्स के द्वारा भारत के घेराव से भी विकासशील देशों में भविष्य में संकट आ सकता है।

अन्य चुनौतियां → शुरू में विकास का लालच → बाद में संसाधनों पर कब्जा → बंदरगाह आदि लीज पर लेकर सैन्य निर्माण
उदा- हंबनटोटा पोर्ट

समाधान → पश्चिमी देशों के लिए भी चीन बड़ा खतरा
→ आर्थिक शीतयुद्ध शुरू
→ G7 का बिल्ड बैक बैटर वर्ल्ड द्वारा विकासशीलों को अनुदान
→ G20 बेल्ट-रोड़ी द्वारा घोषणा।
→ EU द्वारा चीनी EV पर 10% ज्यादा टैरिफ दर लगाना।

अतः भारत व पश्चिमी देशों के साथ संबंध निर्माण व IMEC जैसे कनेक्टीविटी प्रोजेक्ट BRI को तोड़ सकते हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q11. भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के समक्ष आने वाली वित्तीय बाधाओं पर चर्चा कीजिए। उनके राजस्व संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the financial constraints faced by the Panchayati Raj Institutions (PRIs) in India. What measures can be taken to augment their revenue resources? (Answer in 250 words) 15

73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1993 में भारत में 11वीं व 12वीं अनुसूची शामिल की सत्ता के विकेंद्रीकरण की नींव रखते हुए पंचायती राज की स्थापना करती हैं।

PRI की वित्त बाधाएं

i) स्वंय के संसाधन न होना:- स्वंय के लोगों पर कर लगाने में आनाकानी के कारण समस्या

ii) केंद्र व राज्य पर निर्भरता:- 95% पंचायतें बाहरी वित्त पर निर्भर

iii) वित्त आयोग भूमिका:- केंद्र व राज्य स्तर पर वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही वित्तीय लाभ की प्राप्ति।

iv) शहरों की अर्थव्यवस्था का लाभ न होना:- ULB के द्वारा समृद्ध शहरी

2368
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्थव्यवस्था का लाभ ले पाने में असमर्थता।

v) फंडों में धांधली :- फंडों के प्रयोग में धांधली, लीकेज, भ्रष्टाचार आदि व्यवस्था को खराब बनाते हैं।

vi) पंचायतों का खराब व्यवहार :- हरियाणा में फंडिंग के लिए e-टेंडरिंग लाया गया परंतु पूरे राज्य स्तर पर विरोध के कारण फैसला वापिस।

vii) जिम्मेदारियों का अभाव :- पंचायतों को पूरी तरह से शक्ति आवंटन न किया जाना भी विश्वास संकट को बढ़ाकर उनकी निर्भरता को भी बढ़ाता है।

राजस्व संसाधनों की वृद्धि उपाय

i) बांड :- म्यूनिसिपल बांड, PRI बांड जैसी व्यवस्था की जा सकती हैं।

ii) PPP मॉडल :- PPP मॉडल के तहत शर्तों में विकास कार्य करवाना भी सहायक कदम हो सकता है।

iii) सभी स्तरों पर शक्ति देना :- सभी PRI स्तरों पर कार्य करने की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शक्ति प्राप्ति से पंचायतों में स्वंत के संसाधन सृजन की प्रेरणा का संचार होगा।

iv) अन्य राज्यों से सबक लेना:- दक्षिण के तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पंचायतों द्वारा विकास में अहम भूमिका निभाई जाती है।

v.) राज्य वित्त आयोग भूमिका:- अनुच्छेद 243(I) के तहत गठित आयोग को पंचायतों की वित्तीय समस्या सुलझाने में मदद करनी चाहिए।

तकनीकी उपाय

↳ e गवर्नेंस मॉडल लागू करना, सभी तरह के टेंडर ऑनलाइन हों

↳ PFMS, e ग्रामस्वराज जैसी व्यवस्था का प्रयोग।

अतः PRI भारत के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 40) के आदर्श की पूर्ति करते हैं। संसाधनों का समावेशी वितरण व प्रयोग ही विकेंद्रीकरण लाभ सुनिश्चित कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q12. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 ECI की स्वतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करेगा? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the Election Commission of India (ECI) in ensuring free and fair elections in India. How will the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 impact the independence of the ECI? (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनावों का निष्पक्ष संचालन करके ECI लोकतंत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

स्वतंत्र चुनाव में ECI भूमिका

i) चुनाव घोषणा :- चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा व राज्यों में चुनाव बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के समयानुसार घोषित करने चाहिए।

ii) लेवल प्लेयिंग फील्ड देना :- सभी दलों को समान धरातल पर प्रतिस्पर्धा का मौका ECI देता है।

iii) आचार संहिता लागू :- MCC के द्वारा उम्मीदवारों व सत्तारूढ़ सरकार पर पाबंदी लगाने में ECI की भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) जनता की भागीदारी & समय - समय पर मतदाता लिस्ट को अपडेट करके ECI द्वारा भागीदारी बढ़ाई जाती है।

v.) EVM रखरखाव :- RoPA, 1951 की धारा 61-A के तहत ECI द्वारा EVM के सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी।

vi) सुरक्षित चुनाव संपन्न करवाना :- किसी भी तरह की बूथ कैप्चरिंग, अनबल प्रयोग, जाति / धर्म पर वोट मांगना आदि सभी पर ECI द्वारा प्रभावी नियंत्रण लागू किया जाता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त बिल 2023 प्रभाव

अनुशंसा :- कानून में एक समिति का गठन जिसमें प्रधानमंत्री, एक मंत्री व विपक्षी नेता को शामिल किया गया है। इसमें बहुमत पर निर्णय।

पृष्ठभूमि :- अनूप बर्नवाल केस VS UOI में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी की

2368
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अनुशंसा की गई थी। इसके अनुसार चुनाव आयोग की चयन समिति में CJI, विपक्षी नेता, PM को रखा गया था।

[संभावित प्रभाव]

i) सत्ता दल का दबाव :- बहुमत के कारण हमेशा सत्ता दल की पसंद का ही ECI चुना जाएगा।

ii) निष्पक्षता को खतरा :- ECI के पूर्वाग्रह ग्रस्त होने से लेवल प्लेयिंग फील्ड को खतरा हो सकता है।

iii) सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव ठुकराना :- प्रस्ताव ठुकराना सरकार की स्वच्छ नीयत पर सवाल खड़े करता है।

अतः चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी। दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा व अनूप बरनवाल केस के जजमेंट (CJI को शामिल करना) का पालन कर के स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ने भारत में वंचित समुदायों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 has played a significant role in preventing atrocities and providing protection against discrimination of marginalized communities in India. Analyse. (Answer in 250 words) 15

SC/ST (अत्याचार निवारण) कानून के द्वारा भारतीय समाज के दलित वर्ग व जनजातीय वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं।

SC/ST एक्ट लाभ

i) आयोग का गठन :- इसके तहत अनुच्छेद 338, 338A में अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

ii) प्रभावी कारवाई :- जाति आधार पर किसी भी तरह की टिप्पणी पर भी कारवाई → गैर जमानती अपराध बनने से प्रभावी।

iii) बढ़ती जागरूकता :- इन वर्गों में कानून के कारण चेतना का प्रसार परिणाम।

जागरूकता व शिकायत दर्ज करवाने के अनुपात में बढ़ोतरी।

iv) SC/ST आयोग की शक्तियाँ :- दीवानी कोर्ट की शक्तियां → अपराधी को बुलाना।

→ समय - समय पर मिलने वाली शिकायतों की जाँच व आगे कारवाई बढ़ाने की अनुशंसा करना।

v.) न्यायिक जवाबदेही बढ़ना :- SC/ST कानून के कारण न्यायिक व पुलिस क्षेत्र की जवाबदेही में बढ़ोतरी → जातिगत अधिकारों के बारे में संवेदनशीलता का प्रसार।

कानून की समस्याएं

i) कानून के बावजूद घटनाएं :- हरियाणा व UP के क्षेत्रों में अभी भी लगातार ऐसी घटनाएं जारी।

ii) गलत प्रयोग :- S.C/ST वर्ग द्वारा कानून के दुरुपयोग ने भी इसके महत्व को कम किया है।

iii) मिलीभगत :- उच्च वर्ग व पुलिस के साथ मिलिभगत के कारण प्रभावी

कारवाई नहीं हो पाती जिससे कानून का महत्त्व कम होता है।

iv) जागरूकता कमी :- लोगों में जागरूकता न होने के कारण लगातार शोषण होसने की प्रवृत्ति बनी रहती है।

v.) समझौता :- जैसे दर्ज के बाद समझौता कर लेना, जैसे लेना आदि की गलत प्रथाएं।

vi) अनाग्री भूमिका
↳ प्रभावी निष्पादन नहीं कर पाता
↳ कानूनी शक्तियों का प्रयोग बहुत कम
व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने के बहुत कम उदाहरण।

हाल ही में एक हाइकोर्ट का निर्णय :- SC ST पर केवल जातीय टिप्पणी, अत्याचार में लागू अन्य घटनाओं में नहीं।

अतः SC/ST कानून के उसके अंतिम तक पहुँचाने के लिए नागरिक समाज व NGO जैसे संगठनों द्वारा जागरूकता प्रसार सहायक कदम होंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के कार्यों पर चर्चा कीजिए। महिलाओं की समस्याओं से निपटने में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होने से आयोग को क्या लाभ होता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the functions of the National Commission for Women (NCW). How does the Commission benefit from having the powers of a civil court in dealing with women's issues? (Answer in 250 words) 15

महिलाओं की समस्याओं के शिकायत निवारण को एक मंच देने के लिए 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो 30 वर्षों बाद भी प्रभावी रूप से कार्यरत है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य

i) महिला अधिकारों की आवाज उठाना :- महिलाओं के अंदर अधिकारों की जागृति प्रसार करना।

ii) शोषण पर कार्रवाई :- किसी भी तरह के शोषण पर आयोग प्रभावी कदम उठा सकता है।

iii) स्वतः संज्ञान लेना :- आयोग द्वारा कई बार घटनाओं पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की तीव्रता को बढ़ाया जाता है।

iv) दीवानी कोर्ट शक्ति :- आयोग की कानूनी शक्ति प्रयोग पर अंकुश।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

v) सरकार को सलाह :- समय समय पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।

4. जनता जेंडर कमेटी को विभिन्न अनुशंसाएं तैयार करने में मदद करना।

vi) नवाचार चालन :- विभिन्न क्षेत्र जैसे महिला आर्थिक सशक्तीकरण, STEM क्षेत्र में आगे बढ़ना आदि पर सम्मान व प्रोत्साहन देना।

(सिविल न्यायालय शक्ति के प्रभाव)

i) कानूनी शक्ति :- कानूनी शक्ति होने से स्वतः संज्ञान लेकर सजा प्रावधान कर सकता है।

ii) अपराधी को बुलावा :- समन जारी करने की पावर।

iii) अन्य संस्थाओं का सहयोग :- आयोग इस शक्ति से पुलिस आदि की कारवाई के लिए आदेश भी जारी कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) डेटा विश्लेषण :- विभागों से किसी भी प्रदेश का डेटा प्राप्ति व उस आधार पर अपनी कारवाई को निर्देशित कर सकता है।

v) कानून निर्माण में भूमिका :- कोर्ट की भूमिका के साथ सरकार को नए उपबंध, कानून निर्माण व महिला सुरक्षा को पुख्ताकरने के कदम उठा सकता है।

समस्याएं :- 1. राजनीतिक दबाव में कामकरना
उदा - घटनाओं पर समान राजनीतिक पार्टी देखकर
→ साल भर मौन रहना → सक्रिय भागीदारी न दिखाना।
→ शक्तियों का प्रयोग न करने से प्रतिष्ठा

अतः राष्ट्रीय महिला आयोग एक सशक्त संस्था है जो अपने प्रयासों से आबादी के आधे हिस्से को मुख्यधारा में लाने में योगदान दे सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q15. भारत में बाल यौन शोषण के मुद्दे का समाधान करने में POCSO अधिनियम, 2012 की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Critically analyse the effectiveness of the POCSO Act, 2012 in addressing the issue of child sexual abuse in India. (Answer in 250 words) 15

बच्चों से दुराचार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए 2012 में सरकार द्वारा 18 वर्ष से नीचे के बच्चों की सुरक्षा के लिए POCSO अधिनियम लाया गया।

POCSO प्रभावशीलता

i) हेल्पलाईन जारी :- 1098 नंबर व SHE बॉक्स जैसी हेल्पलाईन ने इस कानून के प्रभाव को बढ़ाया है।

ii) पैरेंट्स की जागरूकता :- माता पिता द्वारा भी बच्चों के साथ किसी भी तरह के दुराचार के प्रति संवेदनशीलता में बढ़ोतरी देखने को मिली।

iii) स्कूली बच्चों की सुरक्षा :- स्कूल स्तर पर लड़कियों से शिक्षक द्वारा किए गए किसी भी गलत कृत्य पर कारवाई के

प्रावधान को लाभ मिला।

iv) कठोर सजा प्रावधान:- सजा कठोर व जमानत संबंधी नियमों ने बच्चों की सुरक्षा बढ़ाई है।

v.) कार्यस्थल पर सुरक्षा:- बालश्रम जैसी स्थिति में भी किसी भी तरह का शोषण बिना लैंगिक भेदभाव कार्रवाई को सुनिश्चित करता है।

परंतु अभी भी काफी प्रयास करने बाकी

i) बढ़ते अपराध:- आए दिन स्कूल व अन्य स्थलों पर बच्चों के साथ दुराचार की घटनाएँ ऐक्ट के प्रभाव पर सवाल खड़ा करती हैं।

ii) धीमी कारवाई:- कारवाई की प्रक्रिया धीमी के कारण पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता।

iii) लंबित शिकायतें:- शिकायतों के लंबे समय तक लटकने के कारण अपराध बढ़ते हैं।

iv) पुराना कानून:- 12 वर्ष पुराना कानून परंतु अब साइबर बुलिंग, ऑनलाइन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बच्चों का शोषण, चाइल्ड पोर्न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून को अपडेट करना जरूरी।

(iv) जागरूकता :- स्कूली स्तर पर सेमिनार आदि के द्वारा बच्चों को शिकायत करने का तरीका, गुड टच बैड टच जैसी चीजें सिखानी चाहिए।

अतः बालसुरक्षा में POCSO अधिनियम एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु इसको आज के समय अनुसार गठन व सजा प्रावधानों में कठोरता समाज में सख्याघालन को सुनिश्चित कर सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q16. भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically evaluate the implementation of the Smart Cities Mission in India. (Answer in 250 words) 15

2015 में शहरी एवं आवास क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा शहरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट सिटी का कानसेप्ट लाया गया।

स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन

1. रेट्रोफिटिंग :- ब्राउन फील्ड विकास के साथ भीड़भाड़ व अनियोजित निर्माण को और एकीकृत कलस्टर आधारित शहरीकरण विकास।

2. ग्रीनफील्ड विकास :- नए निर्माणों में शहरी नियोजन का ध्यान व पर्यावरण समस्याओं के लिए हरित आवरण, IOT आधारित शहरीकरण।

सफलता

1) मदुरै जैसे शहरों का विकास जारी व सर्वोत्तम स्मार्ट व सिटी होने का गौरव हासिल किया।

ii) वित्त आवंटन :- 95% परियोजनाओं का वित्त पूरी तरह आवंटित किया जा चुका है।

iii) परियोजनाएं जारी :- कई शहरों में मिशन के तहत निर्माण कार्य जारी।

iv) 60% भारतीय GDP शहरों पर निर्भरता के कारण कनेक्टीविटी व आर्थिक क्लस्टर विकास जैसी योजनाएं।

v.) पर्यावरण समस्याएं - हीट डोम को विकास रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

प्रयासों में असफलता

i) केवल एक शहर का पूरी तरह तैयार होना योजना के क्रियान्वयन पक्ष पर सवाल खड़े करता है।

ii) स्थानीय विरोध :- विकास के नाम पर शहरों को खोदकर लंबे समय तक कुछ न करने से योजना का विरोध।

iii) कंपनी द्वारा धन आवंटन कमी :- हैदर उसी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वाली कंपनियों के द्वारा सेवा की आपूर्ति ढंग से नहीं की जा रही।

iv) भ्रष्ट प्रणालियां :- विभिन्न तरीके से भ्रष्टाचार की समस्याएं।

v.) एक साथ कई शहरों पर फोकस करने से गुणवत्ता पर असर।

vi) केंद्र राज्य विवाद :- केंद्र व राज्यों के बीच सरकारों की अदला बदली से प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटके रहते हैं।

vii) शहरीकरण समस्याएं — पहले जैसी बाढ़ जैसी आपदाएं। बस्ती व घेटीकरण की समस्या में अब भी कोई सुधार नहीं।

अतः शहरीकरण को स्मार्ट बनाने के लिए व 2050 तक 50% से ज्यादा शहरी आबादी के रखरखाव के लिए 2nd ARC की 17 वीं रिपोर्ट पर पालन करते हुए आगे बढ़ना सहायक होगा।

2368

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. भारत में चरम निर्धनता में काफी कमी आई है, लेकिन स्वस्थ भोजन तक पहुंच अभी भी एक विलासिता का विषय बनी हुई है। स्वस्थ भोजन तक अपर्याप्त पहुंच के कारणों पर चर्चा कीजिए और उनका समाधान करने के उपाय सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While extreme poverty has declined considerably in India, access to healthy food still remains a luxury. Discuss the reasons for poor access to healthy food and suggest measures to overcome the same. (Answer in 250 words) 15

नीति आयोग के हाल के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में MPI 24.8% से 14.96% तक आ गया है जो चरम निर्धनता में कमी को दर्शाता है।

स्वस्थ भोजन तक पहुंच अपर्याप्त के कारण

i) आमदनी कमी :- अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री का भी मानना है कि रोजगार में कम होने के कारण लोग भोजन से वंचित

ii) PDS का सामान्य भोजन :- PDS के चावल, गेहूं, बाजरा, दाल से अच्छा भोजन सुनिश्चित नहीं हो पाता।

iii) फोर्टिफाइड उत्पाद पहुंच कमी :- सरकारी प्रयासों के द्वारा फोर्टिफाइड चावल जैसी अच्छे भोजन की पहुंच सभी

2368
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंत्रों तक नहीं हो पा रही है।

iv) मुद्रास्फीति :- दाल, सब्जी, फल, दूध आदि के दामों में निरंतर वृद्धि भी इंसान को मुख्य भोजन खाने को मजबूर करती है।

v.) हिडन हंगर प्रसार :- वहाँ सब कारणों से प्रच्छन्न भूखमरी (पोषण कमी) का प्रसार हुआ है।

अन्य प्रभाव
- बीमारियों का आना
- कुपोषण → 38% स्टंटिंग व 18%. Child वेस्टींग की स्थिति
- खून की कमी → महिलाओं की माहवारी में कमजोरी आदि।

समाधान

i) मिड डे मिल दुरुस्त करना :- मध्याह्न भोजन में पोषण वाला भोजन उपलब्ध करवा कर प्रच्छन्न भूखमरी को समाप्त किया जा सकता है।
(उदा. हरियाणा मॉडल पर दूध, फल जैसे उत्पादों को पहुँचाना)

ii) PDS में सुधार :- PDS का पुनर्निकरण

जरुरी। 80 करोड़ लोगों को अनाज केवल जरूरतमंद तक पहुंचाना यानी मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर फोकस सुधार ला सकता है।

iii) सरकारी योजना प्रभावी क्रियान्वयन :- ICDS, PM मातृवंदना योजना, PM पोषण योजना आदि के द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित करना।

iv) किचन मॉडल अपनाना :- महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए सस्ती सरकारी किचन बनवाना।
उदा- तमिलनाडु अम्मा किचन
राजस्थान - इंदिरा रसोई।

v.) खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा :- भारत खाद्य उत्पादन में अग्रणी है। प्रसंस्कृत कर के सस्ती मूल्य पर पोषण दिया जा सकता है।

अतः भुखमरी के साथ-साथ प्रच्छन्न भुखमरी पर कार्य करना (सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा।)

Q18. भारत में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the role of publicly funded health insurance in improving health outcomes in India. (Answer in 250 words) 15

भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, इस तरह भारत की अव्यावहारिक भौगोलिक स्थिति के कारण स्वास्थ्य की सुभेद्यता बढ़ती है जिस पर प्रभावी कार्य करना आवश्यक है।

(सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा)

i) प्रसार होगा :- सार्वजनिक बीमा प्रसार से लोगों में जागरूकता का सृजन होगा।

ii) निजी कंपनी एकाधिकार नहीं होगा :- निजी कंपनियों के एकाधिकार के कारण भारत में बीमा पर लोगों की नकारात्मक अभिवृत्ति।

iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार :- ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों स्वास्थ्य बीमा के प्रसार से बीमारी रोकथाम होगी।

↳ इन क्षेत्रों में एनीमिया, सर्वाइकल कैंसर व सिकल सेल एनीमिया कैंसर आदि

iv) वित्तीय समस्या दूर होगी :- सार्वजनिक धन आवंटन से लोगों की जेब पर कम भार पड़ेगा।

v.) असमानता कमी :- निजी क्षेत्रों से अमीर लोगों द्वारा लाभ लेने से अन्य लोग पिछड़े। वो भी समान धरातल पर आ जायेंगे।

परंतु चुनौतियां

3 F की समस्या

फंड
- सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव
- फंड के सभी क्षेत्रों में समान आवंटन की चुनौती
- योजना के लीकेज प्रभाव को रोकना।

फ्रेमवर्क
- लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव लाने वाली योजना निर्माण
- ST क्षेत्रों व दुर्गम स्थलों तक बीमा पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौती।

फंक्शनरी - स्टाफ की कमी जैसी आधारभूत

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

समस्याएं।

4. बीमा जरूरत ज्यादा → धन आवंटन ज्यादा जरूरी → केवल 3.2 % लोगों का जीवन बीमा।

~~SBI~~ SBI की रिपोर्ट के अनुसार → इंडिया भारत में 91% लोगों के पास किसी भी तरह की बीमा सुरक्षा नहीं।

समाधान

1. निजी व सार्वजनिक भूमिका से स्वास्थ्य बीमा लागू करना।
1. GDP के 2.5% स्वास्थ्य धन आवंटन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
1. लोगों को निजी तौर पर बीमा की ओर अग्रसर करना।
1. कंपनियों की CSR योजना व सोशल बॉन्ड जैसी योजना का लाभ लेना।

अतः भारत के 62.5 % जनसांख्यिकी लाभांश लेने के लिए स्वास्थ्य के प्रति पर ध्यान देने की आवश्यकता। स्वास्थ्य बीमा SDG गोल्स 3 की प्राप्ति को भी सुनिश्चित कर सकता है।

Q19. भारत की 'पड़ोस प्रथम (Neighbourhood First)' नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने में किस हद तक सफल रही है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has India's 'Neighbourhood First' policy been successful in enhancing its relations with the neighbouring countries? (Answer in 250 words) 15

भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने व ग्लोबल सफल लीडर की भूमिका निभाने के लिए पड़ोस प्रथम की नीति शुरू की गई है।

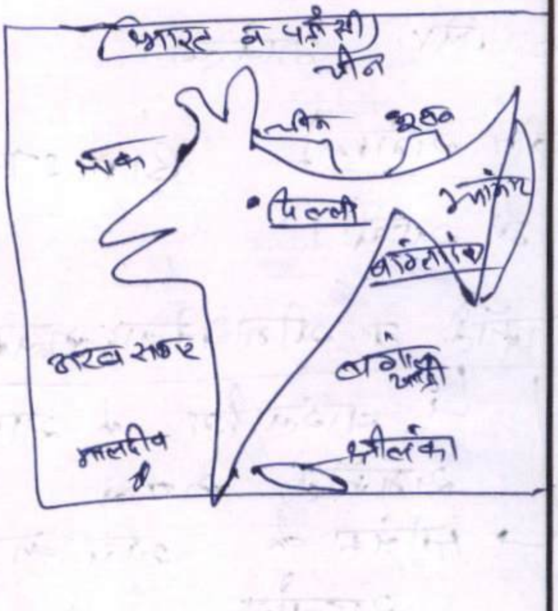

नीति की सफलता

i) कनेक्टिविटी :- दक्षिण एशिया का भौगोलिक जुड़ाव दुनिया में सबसे खराब, परंतु नीति से सुधार।

↳ भूटान में दंतक योजना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट (म्यांमार), BBIN का विकास, पाक के रास्ते मध्य एशिया से व TAPI परियोजना।

ii) सॉफ्ट पावर :- संस्कृति जुड़ाव के साथ-साथ भारत द्वारा लोकतंत्र के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिद्धांत प्रसार व कोविड डिप्लोमेसी का प्रयोग → मुफ्त दवा भेजी।

आर्थिक कूटनीति
↳ संकट के समय आर्थिक मदद — लाइन ऑफ क्रेडिट का पालन → श्रीलंका की मदद
→ ऋण सहायता देना :- भूटान में अवसंरचना विकास, बजट में मालदीव के लिए आवंटन।

क्षेत्रीय संगठन — BIMSTEC, सार्क आदि में सक्रियता।

समझौते व सीमा विवाद सुलझाना
↳ बांग्लादेश के साथ 2014 का सीमा समझौता सफल
↳ श्रीलंका के साथ कच्चातिवु द्वीप पर सहयोग

परंतु कई तरह की चुनौतियां अब भी हैं

i) चीन → स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से घेराव
↳ सीमा विवाद — मॉडल विलेज से क्षेत्र का अतिक्रमण।

ii) अस्थिरता → सभी पड़ोसी राष्ट्रों में आंतरिक अशांति → हालिया उदाहरण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बांग्लादेश में तख्तापलट

iii) समझौते फेल होना
↳ 2015 में नए संविधान के बाद नेपाल में चीनी प्रभाव → कालापानी, लिपुलेख को अपने नक्शे में दिखाना।

– भूटान द्वारा BBIN योजना से पीछे हटना

iv) प्रोजेक्ट में देरी – भारत की योजना क्रियान्वयन खराब → विभिन्न समस्या के कारण वर्षों तक काम लटकना → चीन की ओर आकर्षण में बढ़ोतरी।

v.) अन्य विवाद
↳ म्यांमार बॉर्डर से ड्रग, मानव तस्करी। अवैध शरणार्थी (रोहिंग्या विवाद) की समस्या।

– फ्री मूवमेंट रिजाइम बैन पर विवाद।

अतः नेबरहुड पॉलिसी की सफलता के साथ चुनौती भी बड़ी है। अतः भारत को बिग ब्रदर सिंड्रोम से पार पाते हुए ऐक्ट ईस्ट जैसी नीतियों का समायोजन करके आगे बढ़ना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q20. पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के भारत पर पड़ने वाले उल्लेखनीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए इसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the effects of escalating conflicts in West Asia on regional and global stability, highlighting the significant repercussions for India. (Answer in 250 words) 15

पश्चिमी एशिया में शामिल क्षेत्रों में हाल ही में इजराइल-फिलिस्तीन व आतंकवादी संगठनों के बीच युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता लाने का काम किया है।

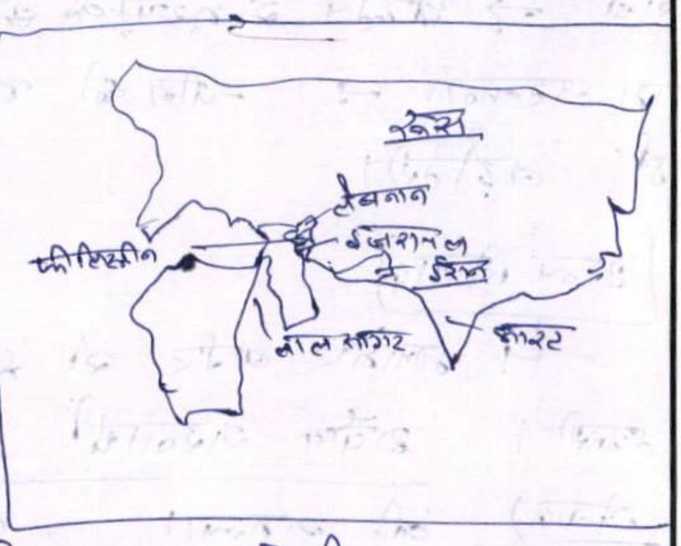

भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

i) ग्लोबल वैल्यू चैन को खतरा:-

किसी भी क्षेत्र का संघर्ष पूरी सप्लाई चैन को प्रभावित करता है।

ii) ऊर्जा संकट :- भारत अपनी तेल ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर। इस प्रकार संकट से तेल कीमतों में मुद्रास्फीति संभव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iii) जहाजों पर हमले :- लाल सागर व स्वेज नहर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले।

iv) G-20 के IMEC पर प्रभाव :- IMEC जैसी महत्वाकांक्षी योजना असफल होने की कगार पर।

v.) बैलेंस की नीति :- संघर्ष के कारण भारत को अरब राष्ट्रों व इजरायल के बीच संतुलन बनाने में समस्या।

क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव

→ हमास के चीफ की हत्या के बाद हिजबुल्ला व इजरायल में युद्ध ईरान ने भी हमले की धमकी दी।

→ अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा USA के द्वारा किए गए शांति प्रयासों पर पानी फिरा।

→ युद्ध की आग यहूदी v/s मुस्लिम में परिवर्तित होने का खतरा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव

i) USA की छवि धूमिल :- गाजा में नरसंहार के कारण USA की छवि को धक्का लगा।

4 समुद्री व्यापार पर हमलों से पूरे विश्व में मंदी की आशंका।

ii) नए गठजोड़ का निर्माण :- ईरान + चीन रूस का गठजोड़ पूरे विश्व व पूंजीवादी राजनीति के खिलाफ खतरा।

iii) यूरोप पर असर :- यूरोप के एशिया के साथ व्यापार में गिरावट दर्ज की गयी है।

इस प्रकार पश्चिमएशिया की हालिया अस्थिरता मानवता के साथ-साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। जल्द से युद्धविराम के प्रयास ही जाकिर के संकट से विश्व की रक्षा की जा सकती है।